

[2023] 2 एस.सी.आर. 713

इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

बनाम

मैसर्स नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(सि.अ. सं. 8460/2022)

17 मार्च, 2023

[न्या. एम.आर. शाह और न्या. एम.एम. सुंदरेश]

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996, धारा 34, धारा 37 -
अपीलार्थी- इरकॉन और प्रत्यर्थी-एनबीसीसी ने एक समझौता किया जिसके
तहत एनबीसीसी को रेलवे स्टेशन सह वाणिज्यिक परिसर का निर्माण कार्य
सौंपा गया-एनबीसीसी नियत समय के भीतर कार्य करने में विफल रहा
और कार्य व्यावहारिक रूप से छोड़ दिया गया-इरकॉन ने समझौते के खंड
60.1 पर भरोसा जताते हुए संविदा को समाप्त करने हेतु एनबीसीसी को
नोटिस दिया-एनबीसीसी ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया- माध्यस्थम्
अधिकरण ने दो प्रतिभूति जमा की वापसी हेतु एनबीसीसी के दावे-दावा सं.
33 और 34 को नामंजूर कर दिया -अधिकरण ने विधिविरुद्ध खंड 60.1
के संदर्भ में समाप्ति का निर्णय लिया, लेकिन खंड 17.4 के संदर्भ में
समाप्ति को उचित ठहराया और परिणामस्वरूप दो प्रतिभूति जमाओं की
वापसी हेतु एनबीसीसी के दावे को नामंजूर कर दिया - अधिकरण ने
प्रतिदावा सं.3 (एनबीसीसी को दिए गए विभिन्न अग्रिमों पर 18 प्रतिशत
प्रति वर्ष की दर से ब्याज के लिए, विशेष रूप से इरकॉन के पक्ष में (1)
विशेष अग्रिम और (2) उपस्करों के आडमान के विरुद्ध अग्रिम)में -उच्च
न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने एनबीसीसी के दावा सं. 33 और 34 के
माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दी गई अस्वीकृति को इस हद तक अपास्त

किया कि यह प्रतिभूति जमा राशियों की वापसी से संबंधित है, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि एक बार माध्यस्थम् अधिकरण ने खंड 60.1 के संबंध में समाप्ति को न्यायोचित नहीं ठहराया था, इसके बाद माध्यस्थम् अधिकरण के लिए प्रतिभूति जमाओं की जब्ती को उचित ठहराते हुए खंड 17.4 के तहत समाप्ति पर विचार करना संभव नहीं था -एकल न्यायाधीश ने प्रतिदावा सं.3, पर अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय को भी यह देखते हुए अपास्त कर दिया कि संविदा में विशेष अग्रिम पर प्रति वर्ष 18 % ब्याज देने का कोई खंड उपलब्ध नहीं है - उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया और जहां तक विशेष अग्रिम का संबंध है, इरकॉन के पक्ष में 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की अनुमति दी-अपील पर अभिनिर्धारित: खंड 17.4 की प्रयोज्यता और/या खंड 17.4 के तहत संविदा को विखंडित करने पर माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष को एकल न्यायाधीश या उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा अपास्त नहीं किया गया था और इसलिए, खंड 17.4 की प्रयोज्यता पर माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया-दोनों, खंड 17.4 और 60.1 के तहत, संविदाकार के कार्य पूर्ण करने में विफल होने पर, इरकॉन संविदा को विखंडित करने और प्रतिभूति जमा को समपहत करने में न्यायोचित था-अधिकरण द्वारा दावा सं. 33 और 34 को नामंजूर करते हुए पारित अधिनिर्णय पुनर्स्थापित किया गया -हालांकि, एक ही समय में अधिकरण द्वारा उपस्करों के आडमान हेतु अग्रिम पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का अधिनिर्णय उच्चतर स्तर पर कहा जा सकता है और इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि उपस्कर के आडमान हेतु अग्रिम पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है, तो इसे युक्तियुक्त ब्याज कहा जा सकता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: 1. यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस प्रकार खंड 17.4 की प्रयोज्यता और/या खंड 17.4 के तहत संविदा को विखंडित करने पर माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष को एकल न्यायाधीश या उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा अपास्त नहीं किया गया है और इसलिए, खंड 17.4 की प्रयोज्यता पर माध्यस्थम् अधिकरण

द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया हैं। इस प्रकार माध्यस्थम् अधिकरण इस बात विचार करने में विशुद्धतः न्यायोचित था कि क्या संविदा को विखंडित करना न्यायसंगत था, जो या तो खंड 60.1 के तहत या खंड 17.4 के तहत हो सकता है। [पैरा 7.2] [724-इ-च]

2. खंड 17.4 और 60.1 दोनों के तहत, कार्य पूरा करने में संविदाकार की विफलता पर, इरकॉन संविदा को विखंडित करने और प्रतिभूति जमा को समपहत करने में न्यायोचित है। पुनरावृत्ति के खर्च पर यह देखा गया है कि माध्यस्थम् अधिकरण ने रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की विवेचना करते हुए, विशेष रूप से देखा था कि संविदाकार अनुबद्ध विस्तारित अवधि के भीतर भी कार्य पूर्ण करने में विफल रहा और यहां तक कि कार्य छोड़ दिया गया और इसलिए, इरकॉन का संविदा को विखंडित करना न्यायोचित है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उक्त निष्कर्ष अंतिमता प्राप्त कर चुका है। इसलिए, इरकॉन द्वारा प्रतिभूति जमा का समपहरण करना बिल्कुल न्यायोचित था और इसलिए, माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दावा संख्या 33 और 34 को नामंजूर करना बिल्कुल न्यायसंगत था, जो कि इरकॉन द्वारा प्रतिभूति जमा के समपहरण से संबंधित थे। दोनों, एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने दावा सं. 33 और 34 को नामंजूर करते हुए माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने में गंभीर गलती की है। इसलिए, एकल न्यायाधीश ने माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 34 के तहत अपने क्षेत्राधिकार से आगे बढ़कर माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पारित सुविचारित निर्णय को अभिखंडित और अपास्त करते हुए दावा संख्या 33 और 34 को नामंजूर कर दिया, जिसकी उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने गलत तरीके से अभिपुष्टि की है। [पैरा 7.3] [725-इ-ज]

3. इन परिस्थितियों में, विद्वत एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दावा संख्या 33 और 34 को नामंजूर करने वाले माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को अभिखंडित और अपास्त करने का आक्षेपित निर्णय और आदेश अभिखंडित और अपास्त करने योग्य है और दावा संख्या 33 और 34 को नामंजूर करने वाले

माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को बहाल करने और बरकरार रखने की आवश्यकता है। [पैरा 7.4] [726-क-ख]

4. रवीची एंड कंपनी में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को सौंपे गए मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, एक बार यह पाया गया कि अग्रिम राशि का भुगतान उपस्करों के आडमान हेतु किया गया था और उसके बाद जब माध्यस्थम् अधिकरण ने उपस्करों के आडमान हेतु अग्रिम राशि पर ब्याज दिया, तो माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 34 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा और यहां तक कि माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 37 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा भी इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, एक ही समय में 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देना अधिक माना जा सकता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि उपस्करों के आडमान हेतु अग्रिम राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है, तो इसे उचित ब्याज कहा जा सकता है। [पैरा 7.5] [726-छ-ज; 727-क-ख]

रवीची एंड कंपनी बनाम भारत संघ (2018) 7 एससीसी
664 : [2018] 5 एससीआर 138 - संदर्भित।

निर्णयज संदर्भ

[2018] 5 एससीआर 138 में पैरा 7.5 संदर्भित है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं 8460/2022

आ.प्र.अ. सं. 112/2018 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 14.08.2018 के निर्णय और आदेश से।

आर.एस. हेगड़े, फरहत जहां रहमानी, कृष्णा शर्मा, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

अरविंद मिनोचा, वरिष्ठ अधिवक्ता, मयंक क्षीरसागर, सुश्री आभा, रणधीर सिंह, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय दिया गया।

न्या., एम.आर. शाह द्वारा,

1. आ.प्र.अ. सं. 112/2018 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 14.08.2018 से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को आंशिक रूप से मंजूर कर लिया है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (जिसे बाद में "आईआरसीओएन(इरकॉन)" के रूप में संदर्भित किया गया) द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

2. वर्तमान अपील दायर करने की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 कि, इरकॉन और प्रत्यर्थी-मैसर्स नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बाद में "एनबीसीसी" के रूप में संदर्भित) के बीच एक समझौता किया गया था, जिसके तहत प्रत्यर्थी को 3042.91 लाख रुपये के खर्च से वाशी, नवी मुंबई में रेलवे स्टेशन सह वाणिज्यिक परिसर के निर्माण का कार्य सौंपा गया था, जिसका निर्माण 05-04-1990 से 30 महीने की अवधि के भीतर किया जाना था। एनबीसीसी समय पर कार्य पूरा करने में विफल रहा। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच अनुपूरक समझौते किए गए। चूंकि अग्रिम अनुदान का प्रावधान निःशेषित हो गया था, एनबीसीसी ने कार्यों को पूरा करने हेतु संशोधित कार्यक्रम के साथ इरकॉन से प्रस्ताव किया और कुछ निबंधन और शर्तों पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की। इरकॉन ने सिडको के परामर्श से बैंक गारंटी के विरुद्ध एक विशेष

मामले के रूप में अग्रिम देने पर सहमति व्यक्त की। तदनुसार, बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 68 लाख रुपये की विशेष अग्रिम राशि प्रदान करने वाले पक्षों के बीच दिनांक 17.12.1991 को एक अनुपूरक समझौता किया गया था। दिनांक 17.12.1991 के अनुपूरक समझौते के अनुसार, एनबीसीसी को 68 लाख रुपये की विशेष अग्रिम राशि भी दी गई थी। चूंकि एनबीसीसी के कार्य में विलंब हो रहा था और कार्य व्यावहारिक रूप से छोड़ दिया गया था और गतिरोध आ खड़ा हुआ था, इरकॉन ने एनबीसीसी को 21.02.1994 को एक नोटिस भेजकर समझौते के खंड 60.1 पर निर्भरता रखते हुए संविदा को समाप्त कर दिया।

2.2 इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ मुकदमेबाजी के बाद, एनबीसीसी ने माध्यस्थम् खंड का आह्वान किया। माध्यस्थम् अधिकरण का गठन किया गया। माध्यस्थम् अधिकरण ने दिनांक 04.11.2011 को निर्णय पारित किया। माध्यस्थम् अधिकरण ने दो प्रतिभूति जमा यानी दावा संख्या 33 और 34 के प्रतिदाय हेतु एनबीसीसी के दावे को नामंजूर कर दिया। ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए, माध्यस्थम् अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि खंड 60.1 के संदर्भ में समाप्ति विधिविरुद्ध थी, लेकिन संविदा के खंड 17.4 के संदर्भ में समाप्ति को उचित ठहराया गया और परिणामस्वरूप दो प्रतिभूति जमाओं यानी दावा संख्या 33 और 34 के प्रतिदाय हेतु एनबीसीसी के दावे को नामंजूर कर दिया। माध्यस्थम् अधिकरण ने भी इरकॉन के पक्ष में

प्रतिदावा संख्या 3 को अंशतः मंजूरी दी। प्रतिदावा संख्या 3, एनबीसीसी को दिए गए विभिन्न अग्रिमों पर ब्याज के लिए कुल 3,65,38,806/- रुपये के इरकॉन के प्रतिदावे से संबंधित था, विशेष रूप से, दो विशिष्ट अग्रिमों के संबंध में (1) विशेष अग्रिम और (2) उपस्कर के आडमान के विरुद्ध अग्रिम।

2.3 विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पारित निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए और जहां तक दावा सं. 33 और 34 और प्रतिदावा संख्या 3 जो इरकॉन के पक्ष में थे, एनबीसीसी ने माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (बाद में " माध्यस्थम् अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के तहत एक आवेदन 00000.0 दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन केवल उपरोक्त तीन दावों/प्रतिदावों क्रमशः दावा सं. 33 व 34 और प्रतिदावा संख्या 3 तक ही सीमित था। ।

2.4 दिनांक 03.03.2017 के निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश ने एनबीसीसी के दावा संख्या 33 और 34 के विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अस्वीकृति को उस सीमा तक अपास्त कर दिया, जहां तक यह प्रतिभूति जमा राशि यानी 5,57,486/- रुपये + 60,85,840/- रुपये की वापसी से संबंधित था- यह देखने और निष्कर्ष निकालने पर कि एक बार जब माध्यस्थम् अधिकरण ने पाया कि खंड 60.1 के संबंध में समाप्ति उचित नहीं थी, तो उसके बाद

प्रतिभूति जमा की जब्ती को उचित ठहराते हुए खंड 17.4 के तहत समाप्ति पर विचार करना माध्यस्थम् अधिकरण के लिए स्पष्ट नहीं था। उच्च न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश ने प्रतिदावा सं. 3 पर विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को भी यह कहते हुए अपास्त कर दिया कि संविदा में विशेष अग्रिम पर प्रति वर्ष 18% ब्याज देने का कोई खंड नहीं है।

2.5 विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील की विषय-वस्तु थे।

2.6 जहां तक विशेष अग्रिम पर ब्याज देने का संबंध है, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को बरकरार रखते हुए माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 37 के तहत उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित शेष निर्णय और आदेश की उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा अभिपुष्टि/पुष्टि की गई है।

2.7 उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, इरकॉन ने वर्तमान अपील को प्रस्तुत किया है।

3. विद्वत् अधिवक्ता, श्री आर. एस. हेगड़े, अपीलार्थी-इरकॉन की ओर से उपस्थित हुए हैं और विद्वत् वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अरविंद मिनोचा, प्रत्यर्थी-एनबीसीसी की ओर से उपस्थित हुए हैं।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वत् अधिवक्ता श्री आर.एस. हेगड़े ने आवेगपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है कि अभिलिखित सम्पूर्ण साक्ष्य और सामग्री के मूल्यांकन पर जैसा कि विद्वत् अधिकरण ने संप्रेक्षण और अभिनिर्धारित किया है कि एनबीसीसी द्वारा कार्य छोड़ देने के कारण संविदा को विखंडित करने में इरकॉन न्यायपूर्ण था और जब उक्त निष्कर्ष ने अंतिमता प्राप्त की, तो इरकॉन को प्रतिभूति जमा का समपहरण करने में न्यायोचित ठहराया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने बहुत अधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार, खंड 17.4 और खंड 60.1 दोनों को एक साथ पढ़े जाने की आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस मुख्य पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या एनबीसीसी संविदा के अनुसार कार्य पूरा करने में विफल रहा और क्या एनबीसीसी ने कार्य छोड़ दिया और उसके बाद, यह समाधान होने पर कि विस्तारित अवधि के दौरान भी, एनबीसीसी कार्य पूर्ण करने में समर्थ नहीं थी, संविदा को उचित रूप से विखंडित कर दिया गया था और इसलिए, प्रतिभूति जमा समपहृत किए जाने हेतु उत्तरदायी थे।

4.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि विद्वत एकल न्यायाधीश (माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन में) और उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ दोनों ने दावा संख्या 33 और 34 को नामंजूर करते हुए विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को उलटने/अभिखंडित करने और अपास्त करने में तात्त्विक रूप से गलती की है। ।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि दोनों, विद्वत एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने इस तथ्य का विवेचन न करने में तात्त्विक रूप से गलती की है कि एक बार संविदा के निबंधन के संदर्भ में समाप्ति उचित है और भले ही संविदा को समाप्त करने वाले पत्र में एक गलत खंड का उल्लेख किया गया हो, संविदा को समाप्त करने की शक्ति को अवैध नहीं कहा जा सकता, विशेष रूप से, जब संविदा के विशिष्ट निबंधन यानी खंड 17.4 के अनुसार शक्ति का पता लगाया जा सकता है।

4.3 अब, जहां तक प्रतिदावा सं.3 का सवाल है, यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने उपस्करों के आडमान के विरुद्ध अग्रिम राशि पर ब्याज के निर्णय को इस आधार पर अपास्त कर दिया है कि संविदा/अनुपूरक समझौतों में ब्याज देने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने इस तथ्य का उचित विवेचन नहीं किया है कि अग्रिम राशि पर

ब्याज देने पर कोई वर्जन नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि माध्यस्थ के पास लंबित ब्याज का निर्णय देने की शक्ति है, जब तक कि उसे विशेष रूप से अधिनिर्णीत करने का वर्जन न किया जाए। **(2018) 7 एससीसी 664** में अधिनिर्णीत रवीची और कंपनी बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए और माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पारित निर्णय का प्रत्यावर्तन किया जाए।

5. प्रत्यर्थी - एनबीसीसी की ओर से उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री मिनोचा ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश का समर्थन करते हुए दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में इरकॉन ने खंड 60.1 का आह्वान किया और संविदा को विखंडित कर दिया। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण ने भी देखा और अभिनिर्धारित किया है कि खंड 60.1 के तहत संविदा को विखंडित करना इरकॉन के लिए उचित नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि, इसके बाद माध्यस्थम् अधिकरण ने खंड 17.4 के तहत संविदा की समाप्ति को उचित ठहराया, जिसे विद्वत एकल न्यायाधीश/खण्ड पीठ ने सही ठहराया था, जो स्वीकार्य नहीं था।

5.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष कि संविदा को खंड 60.1 के तहत विखंडित

नहीं किया जा सकता, अंतिम रूप प्राप्त कर चुका था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण दावा संख्या 33 और 34 को नामंजूर करने में न्यायपूर्ण नहीं था, जिसे विद्वत एकल न्यायाधीश और खण्ड पीठ द्वारा उचित रूप से अपास्त कर दिया गया है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सीमित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

5.2 प्रत्यर्थी-एनबीसीसी की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उपस्करों के आडमान के विरुद्ध अग्रिम राशि पर ब्याज पर संविदा/अनुपूरक समझौतों में किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इसे उचित रूप से अपास्त कर दिया है।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

6. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

7. जैसा कि ऊपर देखा गया है, विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष और अब इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दावा संख्या 33 और 34 और प्रतिदावा संख्या 3 (अंशतः) के संबंध में दी गई है।

7.1 विद्वत् माध्यस्थम् अधिकरण ने दावा सं. 33 और 34 को नामंजूर कर दिया जो संविदा की समाप्ति/विखंडित करने पर प्रतिभूति जमा को जब्त करने के संबंध में थे। इरकॉन का प्रतिदावा सं.3 एनबीसीसी को दिए गए विभिन्न अग्रिमों पर ब्याज के लिए कुल 3,65,38,806/- रुपये का था, विशेष रूप से, दो विशिष्ट अग्रिमों के संबंध में (1) विशेष अग्रिम और (2) उपस्करों के आडमान के विरुद्ध अग्रिम। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने आंशिक रूप से अपील को स्वीकार कर लिया है और जहां तक विशेष अग्रिम का संबंध है, 18 प्रतिशत की दर से इरकॉन के पक्ष में ब्याज की अनुमति दी है। विद्वत् माध्यस्थम् अधिकरण ने प्रतिदावा सं. 3 को अनुमति दी और विशेष अग्रिम और उपस्करों के आडमान के विरुद्ध अग्रिम पर ब्याज के रूप में इरकॉन के पक्ष में 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का देने अधिनिर्णय किया। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपील को अंशतः स्वीकार कर लिया है और जहां तक विशेष अग्रिम का संबंध है, इरकॉन के पक्ष में 18% की दर से ब्याज की अनुमति दी है।

7.2 विद्वत् माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों पर विचार करते समय और संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वत् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों का अधिमूल्यन करते समय, समझौते के प्रासंगिक खंड, विशेष रूप से, खंड संख्या 17.4, 59.1, 60.1 को संदर्भित करने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार हैं:

“संविदा की उपयोगिता और इसकी अत्यावश्यक शर्त:

17.4 संपूर्ति हेतु निर्धारित तिथि या विस्तारित तिथि तक कार्यों को पूरा करने का समय संविदा की अत्यावश्यक शर्त मानी जाएगी और और यदि संविदाकार निर्धारित समय के भीतर कार्यों को पूरा करने में विफल रहता है, तो कंपनी इरकॉन, यदि इस बात से संतुष्ट है कि संविदाकार द्वारा कार्यों को यथोचित कम समय के भीतर पूरा किया जा सकता है, तो वह उस ओर से उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना प्रत्येक सप्ताह के लिए कार्यों की संविदा के मूल्य के एक प्रतिशत के समतुल्य राशि वसूलने की हकदार होगी; या सप्ताह का एक भाग जो संविदाकार की चूक के रूप में है और संविदाकार को परियोजना प्रबंधक द्वारा तय किए गए अतिरिक्त समय विस्तार की अनुमति दी जाएगी। यदि कंपनी (इरकॉन) इस बात से संतुष्ट नहीं है कि संविदाकार द्वारा कार्य पूरा किया जा सकता है और संविदाकार की ओर से उपर्युक्त समय के आगे विस्तार के भीतर कार्यों को पूरा करने में विफलता की स्थिति में कंपनी (इरकॉन) इस संबंध में उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना हकदार होगी, संविदाकार की प्रतिभूति जमा को उचित बनाना और संविदा को विखंडित करना, चाहे ऐसी चूक के कारण वास्तविक क्षति हुई हो या नहीं।

कंपनी का संविदा अवधारित करने का अधिकार (इरकॉन):

59.1 कंपनी (इरकॉन) किसी भी समय संविदा को अवधारित करने और समाप्त करने की हकदार होगी, यदि कंपनी (इरकॉन) की राय में, निधि की अल्पता या किसी भी कारण से कार्य की समाप्ति आवश्यक हो जाती है, इस स्थिति में साइट पर अनुमोदित सामग्री के मूल्य और संविदाकार द्वारा आज तक किए गए कार्य का भुगतान संविदा में निर्दिष्ट दरों पर पूर्ण रूप से किया जाएगा। कंपनी (इरकॉन) की ओर से ऐसे अवधारण और कारण की लिखित सूचना इसका निर्णायक साक्ष्य होगी।

संविदाकार की चूक के कारण संविदा का अवधारण:

60.1 यदि संविदाकार:-

- i. दिवालिया या उन्मुक्त हो जाता है या
- ii. अपने लेनदारों के पक्ष में कोई व्यवस्था या कार्य करना, या अपने लेनदारों के निरीक्षण समिति के तहत संविदा को पूरा करने के लिए सहमत हो, या
- iii. एक कंपनी या निगम होने के नाते, परिनिर्धारण (समामेलन या पुनर्निर्माण के उद्देश्य से स्वैच्छिक परिनिर्धारण के अलावा) हो जाता है, या
- iv. कार्यों पर उसकी वस्तु या संपत्ति पर निष्पादन लगाया जाता है, या
- v. इन शर्तों के खंड 7 में दिए गए प्रावधान के अलावा संविदा या उसके किसी भी अंश को निर्दिष्ट करें, या
- vi. संविदा को छोड़ दें, या
- vii. परियोजना प्रबंधक के निर्देशों की बारबार अवहेलना करें, या संविदा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करें, या
- viii. नियत अवधि के 10 प्रतिशत के मार्जिन से कार्य के सहमत कार्यक्रम का पालन करने में विफल रहे, या
- ix. साइट से सामग्री को हटाने या परियोजना प्रबंधक से नोटिस प्राप्त करने के बाद कार्य को उलटने और बदलने में विफल रहने के लिए इस आशय से कि उक्त सामग्री या कार्यों की निंदा की गई है या शर्तों के तहत अस्वीकार कर दिया गया है, या
- x. इन शर्तों के तहत आवश्यकता के अनुसार सक्षम या अतिरिक्त स्टाफ और श्रमिकों को नियुक्त करने हेतु कदम उठाने में विफल हो, या
- xi. परियोजना प्रबंधक या परियोजना प्रबंधक के प्रतिनिधि को इन शर्तों के तहत कार्यों या उसके किसी भी भाग के निरीक्षण हेतु उचित सुविधाओं का खर्च उठाने में विफल हो, या

xii. इरकॉन के साथ इस या किसी अन्य संविदा के निष्पादन के संबंध में स्वयं या अपने साथी, एजेंट या नौकर के माध्यम से इरकॉन के स्टाफ के किसी अधिकारी को या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति को कोई रिश्वत, कमीशन, उपहार या लाभ देने का वादा करें।

तब और उक्त किसी भी मामले में, कंपनी (इरकॉन) की ओर से परियोजना प्रबंधक संविदाकार को इस आशय का लिखित नोटिस दे सकता है और यदि संविदाकार इस तरह के नोटिस के वितरण के 7 दिनों के भीतर अपनी चूक को जहाँ तक इसे बनाने और कार्य को जारी रखने में सक्षम है या परियोजना प्रबंधक की पूर्ण संतुष्टि तक उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन किया जा सकता है, तो कंपनी (इरकॉन) परियोजना प्रबंधक से हस्तलिखित 48 घंटे की सूचना देने के बाद (संविदाकार को पूरे या किसी भी हिस्से या भाग से हटाने के लिए जैसा कि इस तरह की सूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है) संविदा से बचने या संविदाकार को संविदा के तहत उसके किसी भी दायित्व या देनदारियों से मुक्त किए बिना और निम्नलिखित में से किसी भी या कई श्रेणी को अपनाने के लिए हकदार होगी:

क) संविदा का विखंडन करना, जिसमें से परियोजना प्रबंधक के हाथ में संविदाकार को लिखित में प्रत्यावर्तन सूचना निर्णायक साक्ष्य होगी, इस स्थिति में संविदाकार की प्रतिभूति जमा कंपनी इरकॉन द्वारा समपहृत कर ली जाएगी, कंपनी (इरकॉन) के संविदाकार से किसी भी राशि की वसूली करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके द्वारा किसी अन्य एजेंसी द्वारा कार्यों को प्रतिस्पर्धा करने की लागत संविदाकार के मूल्य से अधिक होगी।

ख) आवश्यक श्रम और सामग्रियों को नियोजित करके कार्यों या उनके किसी भी भाग को पूर्ण करने हेतु, जिसकी लागत में सीसा, लिफ्ट, माल ढुलाई, पर्यवेक्षण और सभी आनुषंगिक शुल्क शामिल होंगे और संविदाकार को ऐसी लागतों के साथ डेबिट करना, जिसकी राशि परियोजना प्रबंधक द्वारा प्रमाणित

अंतिम और बाध्यकारी होगी, और संविदाकार को किए गए कार्यों के मूल्य के साथ क्रेडिट करना जैसे कि संविदा की शर्तों के तहत संविदाकार द्वारा कार्य किया गया था। और संविदाकार को जमा की जाने वाली राशि के संबंध में परियोजना प्रबंधक का प्रमाण पत्र अंतिम होगा और संविदाकार के लिए बाध्यकारी होगा।

- ग) संविदाकार द्वारा निष्पादित कार्य को मापने के लिए और किसी अन्य संविदाकार द्वारा संविदाकार के जोखिम और खर्च पर शेष कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी मामले में कोई भी खर्च जो उस राशि से अधिक हो सकता है जो संविदाकार को भुगतान किया गया हो, यदि संविदा की शर्तों के तहत कार्य उसके द्वारा किया गया हो, तो परियोजना प्रबंधक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त राशि अंतिम होगी और संविदाकार पर बाध्यकारी होगी और इसका द्वारा वहन और भुगतान संविदाकार किया जाएगा और संविदाकार के तहत कंपनी (इरकॉन) द्वारा उसे देय किसी भी धन से या अन्यथा या उसकी प्रतिभूति जमा से काटा जा सकता है। बशर्ते कि किसी भी मामले में जिसमें कंपनी (इरकॉन) को प्रदत्त शक्तियों में से कोई भी प्रयोग करने योग्य हो गई हो और प्रयोग किए जाने पर, इसका गैर-प्रयोग इसकी किसी भी शर्त की छूट का गठन नहीं करेगा और ऐसी शक्तियों का उपयोग संविदाकार द्वारा भविष्य में चूक के किसी भी मामले की स्थिति में किया जा सकता है, जिसके लिए अतीत और भविष्य के लिए उसका दायित्व अप्रभावित रहेगा।”

अभिलिखित सामग्री पर विचार करते हुए और साक्ष्य की विवेचना पर, विद्वत् माध्यस्थम् अधिकरण ने हालांकि कहा कि इरकॉन खंड 60.1 के तहत संविदा को विखंडित करने में न्यायसंगत नहीं था, संविदा को विखंडित करना/संविदा की समाप्ति खंड 17.4 के तहत उचित थी, और इस

प्रकार एनबीसीसी के दावा सं. 33 और 34 को नामंजूर कर दिया गया है जो प्रतिभूति जमा के समपहरण से संबंधित थे। विद्वत एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ दावा संख्या 33 और 34 को नामंजूर करने वाले माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को इस आधार पर अपास्त कर दिया है कि एक बार जब माध्यस्थम् अधिकरण ने यह निष्कर्ष दिया कि इरकॉन खंड 60.1 को लागू करने में न्यायसंगत नहीं था, तो उसके बाद माध्यस्थम् अधिकरण के लिए खंड 17.4 की सहायता लेने का कोई विकल्प ही नहीं था और इसलिए, विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण ने दावा संख्या 33 और 34 को नामंजूर करने में न्यायसंगत नहीं ठहराया था, जो समपहत प्रतिभूति राशि को समपहत करने के संबंध में थे, जो खंड 17.4 के तहत हो सकता था।

तथापि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस प्रकार खंड 17.4 की प्रयोज्यता और/या खंड 17.4 के तहत संविदा को विखंडित करने पर माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को विद्वत एकल न्यायाधीश या उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा अपास्त नहीं किया गया है और इसलिए, खंड 17.4 की प्रयोज्यता पर विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अंतिम रूप प्राप्त कर चुके हैं। विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण इस बात पर आत्यन्तिक रूप से विचार करने में पूर्ण रूप से न्यायोचित था कि क्या संविदा को विखंडित करने में इरकॉन को उचित ठहराया गया था, ये या तो खंड 60.1 के तहत या खंड 17.4 के तहत हो सकता है। अन्यथा भी, अभिलिखित सामग्री और यहां

तक कि दिनांक 21.02.1994 के नोटिस और दिनांक 07.03.1994 के बाद के नोटिस से, हम संतुष्ट हैं कि इरकॉन संतुष्ट था कि संविदाकार द्वारा समय के आगे विस्तार के भीतर भी कार्य पूरा नहीं किया जा सका। खंड 17.4 में यह प्रावधान है कि यदि कंपनी (इरकॉन) संतुष्ट नहीं है कि संविदाकार द्वारा कार्य पूरा किया जा सकता है और संविदाकार की ओर से स्वीकृत समय के आगे विस्तार के भीतर कार्य पूर्ण करने में विफलता की स्थिति में, इरकॉन, उस ओर से उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदाकार के प्रतिभूति जमा को उपयुक्त बनाने और संविदा को विखंडित करने की हकदार होगी, चाहे वास्तविक हानि इस तरह की चूक के कारण हुई हो या नहीं। यहां तक कि खंड 60.1 में संविदाकार की चूक के कारण संविदा के निर्धारण का भी प्रावधान है। यह प्रावधान करता है कि यदि संविदाकार संविदा को छोड़ देता है, या परियोजना प्रबंधक के निर्देशों की लगातार अवहेलना करता है या संविदा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है.... तो कंपनी की ओर से परियोजना प्रबंधक संविदाकार को इस आशय का लिखित नोटिस दे सकता है और यदि संविदाकार इस तरह के नोटिस के वितरण के बाद 7 दिनों के भीतर कार्य नहीं करता है, तो जहां तक वह अच्छा करने और कार्य करने में सक्षम है, परियोजना प्रबंधक की पूरी संतुष्टि के लिए पूर्वोक्त ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए आगे बढ़ सकता है, कंपनी (इरकॉन) परियोजना प्रबंधक के हस्तलिखित रूप में 48 घंटे का नोटिस देने के बाद (संविदाकार को पूरे या किसी भी भाग या भागों से, जैसा कि इस तरह के

नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है) हटाए बिना किसी टालमटोल के संविदा करने या संविदाकार को उसके किसी दायित्व या देनदारी से मुक्त करने की की हकदार होगी।

7.3 इस प्रकार, खंड 17.4 और 60.1 के तहत, कार्य पूर्ण करने में संविदाकार की विफलता पर, इरकॉन संविदा को विखंडित करने और प्रतिभूति जमा को समपहृत करने में न्यायसंगत है। पुनरावृत्ति के खर्च पर यह देखा गया है कि विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण ने अभिलिखित संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना करने पर विशेष रूप से कहा था कि संविदाकार निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर भी कार्य पूर्ण करने में विफल रहा और यहां तक कि कार्य छोड़ दिया गया और इसलिए, इरकॉन संविदा को विखंडित करने में न्यायोचित था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उक्त निष्कर्ष अंतिम रूप ले चुका है। इसलिए, इरकॉन प्रतिभूति जमा को समपहृत करने में आत्यन्तिक रूप से उचित था और इसलिए, विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण दावा सं. 33 और 34 को नामंजूर करने में आत्यन्तिक रूप से उचित था, जो इरकॉन द्वारा प्रतिभूति जमा को समपहृत करने के संबंध में थे। दोनों, विद्वत एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दावा सं. 33 और 34 को नामंजूर करते हुए पारित निर्णय को अपास्त करने में गंभीर गलती की है। हमारी राय है कि विद्वत एकल न्यायाधीश ने, इसलिए, माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 34 के तहत अपने क्षेत्राधिकार से आगे बढ़ते हुए विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दावा सं.

33 और 34 को नामंजूर करने पर पारित सुविचारित निर्णय को अभिखंडित और अपास्त कर दिया, जिसकी उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने गलत तरीके से पुष्टि की है।

7.4 इन परिस्थितियों में, विद्वत एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश, विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दावा सं. 33 और 34 को नामंजूर करने वाले निर्णय को अभिखंडित करने और अपास्त करने योग्य है और विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दावा सं. 33 और 34 को नामंजूर करने वाले निर्णय को बहाल करने और बरकरार रखने की आवश्यकता है।

7.5 अब, जहां तक माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पारित किए गए निर्णय को अभिखंडित करने और अपास्त करने का संबंध है, जिसकी पुष्टि खण्ड पीठ द्वारा पुष्टि किए गए विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा उपस्करों के आडमान हेतु अग्रिम पर 18% ब्याज देने का है, तो प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें इस आधार पर उपस्करों के आडमान हेतु अग्रिम पर विद्वत माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दिए गए ब्याज को अभिखंडित और अपास्त कर दिया गया है कि समझौते / संविदा में ऐसी कोई शर्त नहीं है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 31 (7) (क) पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है, जो मध्यस्थ को यह अनुमति देती है कि जब तक

कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, जहां और जहां तक एक मध्यस्थ का निर्णय धन के भुगतान के लिए है, माध्यस्थम् अधिकरण उस राशि में शामिल कर सकता है जिसके लिए निर्णीत ब्याज बनाया गया है, उस दर पर जो वह उचित समझता है, उस तिथि के बीच की अवधि के पूरे या किसी भी भाग के लिए जिस पर वाद हेतुक कारण उत्पन्न हुआ और जिस तिथि को निर्णय दिया गया है। इस प्रकार, जब तक संविदा के तहत कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है, तब तक मध्यस्थ/ माध्यस्थम् अधिकरण के लिए मुकदमेबाजी का इंतजार देने के लिए हमेशा खुला रहता है। **रवीची एंड कंपनी** (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा समान प्रश्न पर विचार किया गया। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और माना गया है कि एक मध्यस्थ के पास ब्याज देने की शक्ति है जब तक कि उसे विशेष रूप से ब्याज देने से प्रतिबंधित न किया गया हो और रोक स्पष्ट और विशिष्ट होनी चाहिए। उक्त निर्णय में, यह देखा गया और माना गया कि *पेंडेंट लाइट* पर ब्याज का भुगतान करने का दायित्व इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि दावेदार को इसके लिए हकदार पाया गया है और मध्यस्थता, यानी *पेंडेंट लाइट* के लंबित होने के कारण उसे उन देय राशि से बाहर रखा गया है।

सौंपे गए मामले के तथ्यों पर उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, एक बार यह पाया गया कि अग्रिम राशि का भुगतान उपस्करों के आडमान हेतु किया गया था और उसके बाद जब माध्यस्थम् अधिकरण ने उपस्करों के आडमान हेतु अग्रिम

राशि पर ब्याज दिया, तो माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 34 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा और यहां तक कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 37 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, एक ही समय में @ 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देना अधिक माना जा सकता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि उपस्करों के आडमान हेतु अग्रिम राशि पर @ 12 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है, तो इसे उचित ब्याज कहा जा सकता है।

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है। विद्वत एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दावा संख्या 33 और 34 को नामंजूर करने वाले माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को अभिखंडित करने और अपास्त करने के लिए पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा अभिखंडित और अपास्त कर दिया जाता है और माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दावा संख्या 33 और 34 को नामंजूर करने वाले निर्णय को इसके द्वारा बहाल किया जाता है। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा मुकदमेबाजी का इंतजार न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि करने में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश, जहां तक उपस्करों के आडमान हेतु अग्रिम राशि पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देने वाले माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को अभिखंडित

करने और अपास्त करने का संबंध है, उसे इसके द्वारा अभिखंडित और अपास्त कर दिया जाता है और माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा उपस्करों के आडमान हेतु अग्रिम राशि पर ब्याज देने वाले निर्णय को इसके द्वारा बहाल कर दिया जाता है, हालांकि, इस संशोधन के साथ कि माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दिए गए उपस्करों के आडमान हेतु अग्रिम राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा।

वर्तमान अपील को तदनुसार उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान

अपील अनुमत।

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह और महेंद्र यादव, एलसीआरए)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.